सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(ख) के अंतर्गत अग्रसक्रिय घोषणा - योजना वित्त-I

(i) संगठन का विवरण, कार्य और कर्तव्य	योजना वित्त-I (पीएफ-I) मुख्यत: राज्यों के वित्तीय संसाधनों से संबंधित मामलों के लिए जिम्मेदार है। योजना वित्त-I प्रभाग में निम्नलिखित विषयों से संबंधित मामलों पर कार्रवाई की जाती है:- i. राज्यों की योजना स्कीमों और उनके तहत केन्द्रीय सहायता जारी किए जाने से जुड़े सभी मामले। ii. राज्यों की पंचवर्षीय और वार्षिक योजनाओं के वित्तपोषण के लिए उनके वित्तीय संसाधनों के आकलन के संबंध में योजना आयोग के साथ समन्वय। iii. राज्यों के ओवरड्राफ्टों सहित उनके संसाधनों और अर्थोपाय स्थिति की सतत् मॉनीटरिंग। iv. राज्यों के बजटों का विश्लेषण। v. राज्यों के बाजार ऋणों और गारंटियों से संबंधित समन्वय कार्य। vi. आरबीआई समितियों, वित्त सचिवों की बैठकों के संबंध में आरबीआई के साथ समन्वय। vii. वार्षिक योजनाओं में किए गए प्रावधान के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा ऋण प्राप्त करने के लिए अनुच्छेद 293(3) के अंतर्गत स्वीकृति जारी करना। viii. राज्य योजनाओं और उनके वित्त से संबंधित सांख्यिकीय सामग्री तैयार करना। ix. राज्य के वित्त पर प्रभाव डालने वाले राज्य विधानों की संवीक्षा।

	x. राज्य योजनाओं के लिए राज्यों को दी गई केन्द्रीय सहायता के लेखाओं को अंतिम रूप देना। xi. राज्य योजनाओं के लिए प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता के उपयोग के संबंध में वित्त और विनियोजन लेखाओं के संबंध में लोक लेखा समिति और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्टों से संबंधित कार्य। xii. राज्यों के वित्त के संबंध में और राज्यों के वित्तीय मामलों इत्यादि से संबंधित अन्य बैठकों के लिए संक्षिप्त विवरण तैयार करना। xiii. आबंटित विषयों पर संसदीय प्रश्नों और राज्य से जुड़े मुद्दों पर वीआईपी पत्रों से संबंधित कार्य। xiv. ऋण इत्यादि से संबंधित आंकड़ों का समेकन। xv. गैर-योजना स्कीमों अर्थात् पुलिस बलों के आधुनिकीकरण तथा सुरक्षा संबंधी व्यय के संबंध में गृह मंत्रालय के साथ समन्वय xvi. संसाधनों के गैर-व्यपगत केन्द्रीय पूल, उत्तर-पूर्व परिषद और पूर्वोत्तर राज्यों के अन्य सभी मामलों के संबंध में उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय के साथ समन्वय।
(ii) अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कार्य	योजना वित्त-। प्रभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का कार्य राज्य योजनाओं और ऋण से संबंधित कार्य को प्रभावी ढंग से निष्पादित करना तथा बजट प्रावधानों के अनुसार राज्यों को समय पर धनराशि जारी करना है।
(iii) प्रस्तुतीकरण और जवाबदेही के माध्यमों सहित निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनायी जा रही प्रक्रिया	संबंधित कर्मचारियों द्वारा राज्यवार फाइलें रखी जाती हैं। आरंभ में आवतियां संयुक्त सचिव स्तर पर निदेशक/उप सचिव को मार्क की जाती है, तत्पश्चात् संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक और फिर संबंधित कर्मचारियों (एसआई, जेआई, सहायक, उच्च श्रेणी

	लिपिक इत्यादि) को मार्क की जाती हैं। तत्पश्चात् निर्णय लेने के लिए निम्नतर स्तर से उच्चतर स्तर पर फाइलें प्रस्तुत की जाती हैं।
(iv) अपने कार्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानदण्ड	संसाधनों की उपलब्धता, राज्यों की ऋण वहनीयता, राज्य सरकारों की प्राथमिकताओं और योजना निवेशों के संदर्भ में राष्ट्रीय लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए राज्यों की वार्षिक योजनाओं के आकार पर निर्णय लिया जाता है। वार्षिक योजनाओं में किए गए प्रावधान के अनुसार राज्यों को केन्द्रीय सहायता या तो मासिक आधार पर या राज्य योजनाओं में उल्लिखित शर्तें पूरी करने पर जारी की जाती है।
(v) अपने पास या अपने नियंत्रण में रखे गए या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कार्य के निर्वहन के लिए प्रयोग किए जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, मैनुअल और अभिलेख	राज्यों को सहायता जारी करने के तरीके और संबंधित मुद्दों के संबंध में योजना वित्त-। प्रभाग राष्ट्रीय विकास परिषद और मंत्रिमंडल द्वारा यथानिर्णीत नीतियों का पालन करता है।
(vi) अपने द्वारा रखे गए या अपने नियंत्रणाधीन दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण	योजना वित्त-। प्रभाग में रखे जाने वाले दस्तावेज हैं: वित्तीय संसाधनों के आकलन से संबंधित राज्यवार फाइलें, वित्तीय संसाधनों के संबंध में राज्यों से पत्राचार, अनुच्छेद 293(3) के तहत स्वीकृति जारी करने से संबंधित फाइलें, ऋणों इत्यादि से संबंधित फाइलें और विविध विषयों से संबंधित फाइलें।
(vii) अपनी नीति तैयार करने या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के साथ परामर्श करने या उनके प्रतिनिधित्व के लिए विद्यमान किसी व्यवस्था का विवरण	योजना वित्त-। प्रभाग आम जनता से सीधे संबंधित नहीं है। यह प्रभाग राज्य सरकारों के साथ राज्य योजना मामलों पर कार्रवाई करता है।

(viii) इसके भाग के रूप में या इसे सलाह देने के प्रयोजन से गठित दो या उससे अधिक सदस्यों वाले बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण और क्या इन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली हैं या इन बैठकों के कार्यवृत्त जनता की पहुंच में हैं।	लागू नहीं।
(ix) अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका	अधिकारियों की निर्देशिका इस विभाग के कार्मिक प्रभाग में रखी जाती है और इन्टरनेट पर उपलब्ध है।
(x) प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें विनियमों में यथाउपबंधित प्रतिपूर्ति की प्रणाली भी शामिल है।	यह विवरण व्यय विभाग के कार्मिक प्रभाग में रखा जाता है।
(xi) सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्यय और वितरित धनराशि से संबंधित रिपोर्टों का विवरण दर्शाते हुए प्रत्येक एजेंसी को आबंटित बजट	उपलब्ध संसाधनों और राज्य की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य योजनाओं के अंतर्गत राज्य-वार आबंटन को योजना आयोग के उपाध्यक्ष और संबंधित मुख्यमंत्री के बीच उच्च स्तरीय बैठकों में वार्षिक आधार पर अंतिम रूप दिया जाता है। इस प्रभाग द्वारा राज्य योजनाओं के अंतर्गत धनराशि जारी की जाती है। राज्यवार/स्कीमवार अद्यतन विवरण मंत्रालय की वेबसाइट **http://finmin.nic.in/stateloan/default.asp** पर स्टेट लोन डेटा रिलीज इनिशिएटिव के तहत उपलब्ध हैं।
(xii) आबंटित धनराशि सहित सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका और ऐसे कार्यक्रमों	योजना वित्त-I प्रभाग में सब्सिडी से संबंधित कार्य नहीं किया जाता। अत: लागू नहीं।

के लाभार्थियों का विवरण	
(xiii) इसके द्वारा प्रदान की गई छूट, परमिट और प्राधिकारों को प्राप्त करने वालों का विवरण	योजना वित्त-। प्रभाग में छूट, परमिट या प्राधिकार आदि से संबंधित कार्य नहीं किया जाता। अत: लागू नहीं होता।
(xiv) इसके पास उपलब्ध या द्वारा धारित सूचना का विवरण जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी गई हो।	मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध।
(xv) सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को प्राप्त सुविधाओं का विवरण, जिसमें सार्वजनिक उपयोग के लिए अनुरक्षित किसी पुस्तकालय या अध्ययन कक्ष का कार्य समय शामिल है	योजना वित्त-। प्रभाग नागरिकों से सीधे संबंधित नहीं है। अत: लागू नहीं।
(xvi) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण	श्री पी. के मोंगा, निदेशक (योजना वित्त-।) कमरा नं. 167-बी, नॉर्थ ब्लॉक।
(xvii) यथा निर्धारित कोई ऐसी अन्य सूचना।	प्रभाग के संबंध में अतिरिक्त सूचना राज्य वित्त प्रभाग के अंतर्गत उपलब्ध है।